संख्या-7/2022/1627/60-1-21-1/13(4)/16

प्रेषक,

अनीता सी. मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊदिनांक 17 दिसम्बर, 2021**

विषयः- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन धनराशि रू0 500/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर रू0 1,000/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2383/निदे0म0क0/पेंशन/लोक संकल्प/2021-22, दिनांक 15.12.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को भरण पोषण हेतु शासनादेश संख्या-2491/60-1-16-1/13(4)/16, दिनांक 28.09.2016 द्वारा निर्धारित पेंशन की धनराशि को पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- श्री राज्यपाल महोदय इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन की धनराशि रू0 5,00/- प्रतिमाह को बढ़ाकर दिनांक 01 जनवरी, 2022 से रू0 1,000/- प्रतिमाह करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। निर्धारित भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 की चतुर्थ किश्त हेतु रू0 455.25 करोड़ अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता की पूर्ति पुनर्विनियोग के माध्यम से करायी जायेगी।

4- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 28.09.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों के शेष प्रतिबन्ध व शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीया
(अनीता सी. मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-7/2022/1627/60-1-21-1/13(4)/16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
4- समस्त उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0।
5- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, उ0प्र0।
6- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in